

राजस्थान-सरकार
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, राजस्थान, जयपुर
(E mail : DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN, Tel.2227033, 2227725)

क्रमांक फ.61(64) SSAAT / कलैण्डर / 20210-21 / 6297-6316 जयपुर, दिनांक 11/02/22

कार्यालय आदेश (आदेश संख्या 82/2022)

विषय:- नियमित सामाजिक अंकेक्षण हेतु राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित करने बाबत।

नियमित सामाजिक अंकेक्षण हेतु इस कार्यालय के आदेश क्रमांक: क्रमांक एफ.61(64)SSAAT / कलैण्डर / 20210-21 / 6236-57 दिनांक 09.02.2022 एवं समसंख्या आदेश क्रमांक: 6267-87 दिनांक 10.02.2022 द्वारा दिशा-निर्देश प्रसारित किये जा चुके हैं। उक्त कार्य विधिवत् रूप से सम्पादित किये जाने हेतु आदेश 6267-87 दिनांक 10.02.2022 के बिन्दु संख्या 12 के अनुसार राज्य स्तरीय सामाजिक अंकेक्षण नियंत्रण कक्ष निम्नानुसार गठित किया जाता है :-

श्री रामावतार शर्मा, निदेशक, SSAAT दूरभाष न. - 0141-2227033

श्री दुर्गा प्रसाद दायमा, उप निदेशक, SSAAT दूरभाष न. - 0141-2227725

क्र. स.	प्रभारी अधिकारी का नाम	नियंत्रण अधिकारी का नाम	जिले का नाम
1.	श्री नेमीचन्द गुप्ता मो. न. 9829290916	श्री युगल किशोर, लेखाधिकारी (प्रशासन) मो. न. 9352160061	बारां, बूंदी, झालावाड़, कोटा, भरतपुर, धौलपुर एवं करौली
2.	श्री लालचन्द धाकड़ मो. न. 9352489746		दौसा, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर एवं टोंक
3.	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा मो. न. 9462085723	श्री मोहन लाल कुमावत लेखाधिकारी (सा. अंके.) मो. न. 9887557425	जयपुर, झुन्झुनू, सीकर, सवाई माधोपुर एवं अलवर
4.	श्री अशोक कुमार वर्मा मो. न. 8740075558		बीकानेर, चुरू, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, पाली एवं सिरौही
5.	श्रीमती मोनिका मीना मो. न. 8209680180		बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, राजसमन्द एवं जोधपुर
6.	श्री भगवान सहाय गुप्ता मो. न. 9001440192		उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ एवं डूंगरपुर

उपरोक्त नियंत्रण कक्ष दिनांक 15.02.2022 से कार्य करना प्रारम्भ करेगा और सामाजिक अंकेक्षण की समस्त रिपोर्ट्स अंतिम रूप से सोसायटी (SSAAT) मुख्यालय, जयपुर में प्राप्त होने एवं ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार के पोर्टल नरेगा सॉफ्ट पर शतप्रतिशत रिकॉर्ड्स अपलोड होने तक कार्यरत रहेगा। नियंत्रण कक्ष के समस्त प्रभारी अधिकारी एवं नियंत्रण अधिकारी आवंटित जिलों के नियमित सामाजिक अंकेक्षण संबंधित समस्त कार्यों को क्रियान्वित कराने और उसकी सूचना उच्च अधिकारियों को तुरन्त प्रस्तुत करने हेतु उत्तरदायी होंगे। जिलों के प्रभारी अधिकारी से वांछित सूचनाएं संकलित कर नियंत्रण अधिकारी प्रतिदिन अपरान्ह 5.30 बजे रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करेंगे।

४०
(रामावतार शर्मा)
निदेशक,


सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही
एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)

जयपुर, दिनांक : 11/02/22

क्रमांक फ.61(64) SSAAT / कलैण्डर / 20210-21 / 6298-6316
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, मा. मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान।

3. विशिष्ट सहायक, मा. राज्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान।
4. वरिष्ठ उप सचिव, श्रीमान् मुख्य सचिव सह अध्यक्ष, शासी निकाय, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT) राजस्थान, जयपुर।
5. महा निदेशक राजस्थान पुलिस, जयपुर।
6. निजी सचिव, श्रीमान शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सह अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT) राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ एवं स्वतंत्र पर्यवेक्षक के रूप में कार्य सम्पादन कराने हेतु।
9. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, मनरेगा डिविजन/PMAY(G) डिविजन ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायतीराज विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग सह सदस्य सचिव, शासी निकाय, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT) राजस्थान, जयपुर।
11. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
12. निजी सचिव, आयुक्त मनरेगा, राजस्थान।
13. जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गाँधी नरेगा समस्त को पालनार्थ
14. निजी सचिव, निदेशक सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT) राजस्थान, जयपुर।
15. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
16. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गाँधी नरेगा एवं मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् समस्त को पालनार्थ।
17. कार्यक्रम अधिकारी (मनरेगा) एवं ब्लॉक विकास अधिकारी पंचायत समिति, समस्त को पालनार्थ।
18. उप निदेशक/ लेखाधिकारी, (प्रशासन)/लेखाधिकारी (सामा.अंके.), सहायक लेखाधिकारी (समस्त)/कनिष्ठ लेखाकार (समस्त) एवं समस्त अधिकारी कर्मचारीगण, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT) को पालनार्थ।
19. प्रोग्रामर/सूचना सहायक, SSAAT को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि सोसायटी की वेबसाईट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करावें।
20. सहायक निदेशक, जन सम्पर्क, ग्रामीण विकास विभाग
21. रक्षित पत्रावली।


 (दुर्गाप्रसाद दायमा)
 उप निदेशक,
 सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही
 एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)